कार्यालयः- महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, फतेहाबाद

विज्ञप्ति

शिक्षुक अधिनियम 1961 के अन्तर्गत इस कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण एवं भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अन्तर्गत देय होगा। ट्रेड वाईज विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1.	डीजल मैकेनिक	13
2.	विद्युतकार	02
3.	मशीनिस्ट/टरनर	04
4.	वेल्डर	03
5.	पेन्टर	02
6.	कोपा	02
7.	स्टेनो हिंदी	02

इच्छुक उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिंक https://www.apprenticeshipindia.gov.in/login पर दिनांक 18.06.2026 से 28.06.2026 तक कर सकते है। आवेदन के समय उम्मीदवार अपना फोटो, आधार, आई०टी०आई० विभाग द्वारा जारी की गई आई.टी.आई. पास की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र व आवासिय प्रमाण-पत्र भी अपलोड करें व उम्मीदवार अपनी ई-मेल आई.डी. सही लिखें। कोई भी आवेदन सीधे तौर पर कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पदों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चयन के लिए नियम व शर्ते-

1. आवेदन के समय उम्मीदवार पूर्ण प्रोफाइल भरेगा।
2. उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी हो।
3. उम्मीदवार ने जिस ट्रेड से आई.टी.आई. पास की है, केवल उसी ट्रेड में आवदेन करेगा।
4. ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि 28.06.2026 उपरान्त दिनांक 30.06.2026 से 01.07.2026 तक कार्यालय में गठित कमेटी के सम्मुख अपनी प्रोफाईल मूल दस्तावेज व आई.टी.आई. अंकों का मिलान करवाएगा। इसके लिए कोई अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार इस दौरान कमेटी के सम्मुख दस्तावेज का मिलान नहीं करवाएगा तो उसकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
5. शिक्षुओं का चयन आई.टी.आई. से प्राप्त अंकों की मेरिट अनुसार किया जाएगा।
6. शिक्षुता ग्रहण कर चुके उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जाएगा।
7. चयनित उम्मीदवारों को निश्चित तिथि पर कार्यग्रहण करना होगा तथा उन्हें ई-मेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
8. अन्तिम सूची दिनांक 06.07.2026 को जारी की जाएगी।

महाप्रबन्धक

1119/11/892/2027/46309/10/6

हरियाणा राज्य परिवहन, फतेहाबाद।